न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमला चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 04/2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेण्टस
वीरबहादूरसिंह पुत्र फतेहसिंहजी जाति राजपूत निवासी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर		1. किशोर पुत्र भलराज शाह जाति सैन निवासी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर 2. फतेहसिंह पुत्र शेरसिंहजी जाति राजपूत निवासी रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा 3. ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर 4. मंजीराम पुत्र गोदाराम 5. मेवाराम पुत्र गोदाराम जातियान रेबारी निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर

म्युटेशन अपील ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द बनाराजगी म्युटेशन संख्या 2487 दिनांक 31.08.2020

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. रेस्पोडेण्टस संख्या 1, 4, 5 के अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
3. रेस्पोडेण्टस संख्या 2 के अधिवक्ता श्री अमृतलाल कटारिया।

–: निर्णय :–

दिनांक – 04.01.2023

1. अपीलाण्टस द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 2487 दिनांक 31.08.2020 के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्टस व रेस्पोडेट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से मौजा रानीवाड़ा खुर्द तहसील रानीवाड़ा के नवीन खसरा नम्बर 1474 रकबा 0.64हे. आराजी में से 0.0120हे. आराजी जरिये पंजीबद्व बेचान दस्तावेज दिनांक 24.08.2020 के कीमतन खरीद की थी तथा उक्त बेचान दस्तावेज में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा खरीद सुदा आराजी के पड़ौस उतर दिशा में खसरा नम्बर 1474 की शेष आराजी, दक्षिण दिशा में– खसरा नम्बर 2370/1474 की आराजी, पूर्व दिशा में – खसरा नम्बर 1475 व 1476 की आराजी, पश्चिम दिशा में – खसरा नम्बर 1474 की शेष आराजी का बेचान करना स्पष्ट उल्लेखित हैं। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में रेस्पोडेण्ट संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:39 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा निष्पादीत बेचान दस्तावेज दिनांक 24.08.2020 में उल्लेखित पडौस की आराजी के अनुसार उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में म्युटेशन संख्या 2487 नहीं भरा गया तथा ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द द्वारा उक्त बेचान दस्तावेज दिनांक 24.08.2020 में उल्लेखित तथ्यों के विपरित म्युटेशन संख्या 2487 को ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द द्वारा दिनांक 31.08.2020 को स्वीकृत किया गया। जिससे आहत होकर यह म्युटेशन अपील अपीलाण्ट की ओर से निम्न आधारों पर पेश की जा रही हैं:–

उक्त म्युटेशन संख्या 2487 को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा न ही अपीलाण्ट को उक्त म्युटेशन संख्या 2487 को स्वीकृत करने से पूर्व कोई नोटिस दिया गया। इसलिए उक्त म्युटेशन संख्या 2487 को स्वीकृत करने की ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द की तमाम कार्यवाही अपीलाण्ट के पीठ पीछे की गई होने से तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित होने से प्रारंभ से ही अवैध व विधि विरूद्ध होने से काबिल खारीज है।

उक्त म्युटेशन संख्या 2487 स्वीकृत करने वक्त ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द द्वारा बेचान दस्तावेज दिनांक 24.08.2020 में उल्लेखित तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया। ऐसी स्थिति में उक्त म्युटेशन संख्या 2487 काबिल खारीज हैं।

स. उक्त म्युटेशन संख्या 2487 अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादीत बेचान दस्तावेज दिनांक 24.08.2020 में वर्णित तथ्यों पर आधारित होने के बावजुद उक्त म्युटेशन संख्या 2487 की पुश्त पर बेचान सुदा आराजी की तरमीम नहीं की गई जिससे उक्त म्युटेशन संख्या 2487 काबिल खारीज हैं।

2. अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में बेचान दस्तावेज दिनांक 24.08.2020 के आधार पर म्युटेशन संख्या 2487 को ग्राम पंचायत रानीवाड़ा खुर्द द्वारा अपीलाण्ट के पीठ पिछे स्वीकार किया गया तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 2487 अनुसार इन्द्राज करते वक्त राजस्व नक्शे में भी गल तरमीम कर दी। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को उक्त म्युटेशन संख्या 2487 की नकल लेने पर दिनांक 30.06.2021 को हुई। यहां यह उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी का संक्रमण होने से सरकार की गाईड लाईन अनुसार अपीलाण्ट घर से ही कार्य करता रहा तथा अपीलाण्ट उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन की जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशानुसार उक्त म्युटेशन अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित हैं। फिर भी अपीलाण्ट की अपील जानकारी से अंदर म्याद पेश हैं। यदि अपीलाण्ट की अपील को अदंर म्याद नहीं माना जावे तो विकल्प में निवेदन हैं कि कोरोना महामारी के कारण अपीलाण्ट उक्त म्युटेशन संख्या 2487 को स्वीकृत करने की तमाम कार्यवाही अपीलाण्ट के पीठ पीछे की गई तथा उक्त म्युटेशन संख्या 2487 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। इसलिए अपीलाण्ट की अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

3. अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान् [illegible] निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत रा[illegible] के आदेश दिनांक 31.08.2020 जिसके जरिये मौजा र[illegible] खुर्द तह[illegible] रानीवाड़ा के म्युटेशन संख्या 2487

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusum Lata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:39 IST
Reason: SelfAttested

को स्वीकृत किया गया को अपास्त कर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादीत बेचान दस्तावेज दिनांक 24.08.2020 में उल्लेखित क्षेत्रफल व पडौस अनुसार म्युटेशन स्वीकृत करने हेतु आदेश फरमावे।

4. अपीलाण्टस की अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोडेण्टस 3 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

5. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत म्युटेशन अपील बैचान दस्तावेज के नामान्तरकरण से संबंधित है। जिसकी जानकारी अपीलाण्टस को उक्त आराजी की उक्त नामान्तरकरण की हल्का पटवारी से नकल लेने जाने पर दिनांक 30.06.2021 को हुई। ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द द्वारा ना0 क0 संख्या 2487 स्वीकार करते समय अपीलाण्टस को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है व उक्त समय कोरोना वैश्विक महामारी का संक्रमण भी होने वाद सुनवाई प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के अनुसार अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.2022 को स्वीकार किया गया।

6. उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

7. हमने अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन कर मनन किया। उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन किया गया। अपीलाण्टस द्वारा बैचान दस्तावेज पंजीबद्व दिनांक 24.08.2020 का अध्ययन किया, उक्त बैचान दस्तावेज में बैचानकर्त्ता ने फतेहसिंह पुत्र शेरसिंह कौम राजपूत द्वारा खरीददारान श्री किशोर पुत्र श्री भलराज शाह जाति जैन व श्री वीरबहादूरसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह जाति राजपूत साकिन रानीवाडा खुर्द को मौजा रानीवाडा की आराजी खसरा नम्बर 1474 रकबा 0.64 हैक्टेयर में से 0.0120 हैक्टेयर का बैचान किया गया है। बैचान दस्तावेज अनुसार बैचानसुदा आराजी के पड़ौस निम्न प्रकार है–

उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1474 की शेष आराजी, दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 2370/1474 की आराजी, पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1475 व 1475 की आराजी, पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1474 की शेष आराजी। साथ ही उक्त बैचान सुदा आराजी को नजरी नक्शा में बरंग लाल से दर्शाया गया है। जो इस बैचान दस्तावेज का अभिन्न अंग है।'' बैचान दस्तावेज के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बैचान सुदा आराजी के **उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1474 की आराजी, दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 2370/1474 की आराजी, पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1475 , 1475 व 1444 की आराजी, पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1474 की आराजी है।**

उक्तानुसार बैचान दस्तावेज के संदर्भ में नामान्तरण संख्या 2487 खोला गया जिसका अवलोकन किया। जिसके अनुसार **नामान्तरण संख्या 2487 दिनांक 31.08.2020 को सरपंच ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसमें बैचान दस्तावेज अनुसार बैचानसुदा आराजी का नामान्तरकण भरा गया है। व साथ राजस्व नक्शे में बैचान दस्तावेज में अंकित पड़ौस अनुसार तरमीम नहीं की गई है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:39 IST
Reason: SelfAttested

8. उक्त इन्द्राज के आधार पर जमाबंदी व राजस्व नक्शा में इन्द्राज किया गया जो बैचान दस्तावेज में अंकित पड़ौस [illegible] के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में उक्त

नामान्तरण संख्या 2487 में तरमीम संबंधी त्रुटि होने से राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करने हेतु उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

9. अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत रानीवाडा खुर्द द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 2487 स्वीकृत दिनांक 31.08.2020 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त नामान्तरणकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शुन्य धोषित किये जाते है। तथा उक्त ना0 संख्य 2487 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रर्ड बैंचान दस्तावेज पंजीयन संख्या 202001439001548 दिनांक 24.08.2020 का अध्ययन कर उसके अनुरूप नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना—अपना खर्चा वहन करें।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:39 IST
Reason: SelfAttested